कार्यालय भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 2 / 3 / 2009–10 / दिनांकः

भू प्रबन्ध अधिकारी,
सीकर

विषयः–तहसील डीडवाना जिला नागौर की बन्द की राज्य सरकार की अधिसूचना की धारा 106, 107, 108 भिजवाने बाबत्।

सन्दर्भः–राजस्व (ग्रुप–1) विभाग क्रमांक प.13 (4) राज / ग्रुप–1 / 2008 दिनांक 4.9.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.9.2017 जारी कर तहसील डीडवाना जिला नागौर के 30 ग्रामों को बन्द घोषित किया है, जिसकी छांयाप्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेखन 15 दिवस में राजस्व विभाग को संभलवाकर सूचना भिजवावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति.भू प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / समसंख्यक / 3176 दिनांकः 17.11.17

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.प्रोग्रामर मुख्य कार्यालय, जयपुर को अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।

अति.भू प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(4)राज./ग्रुप–1/2008 जयपुर, दिनांक 4 SEP 20

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 की तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि तहसील डीडवाना, जिला–नागौर के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक प. 13(4)राज/ग्रुप–1/08 दिनाक 28.05.2009 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 105 ग्रामों का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण करवाया जाकर पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य को अधिसूचना दिनांक 17.06.2016 एवं 21.02.2017 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका हैं। शेष ग्रामों में से 30 ग्रामों (संलग्न सूची अनुसार) का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका हैं। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त 30 ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य को बन्द घोषित किया जाता है।

संलग्न :– 30 ग्रामों की सूची

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग राज., जयपुर
पत्र-प्राप्ति
11 SEP 2017
क्रमांक 576

राज्यपाल की आज्ञा से

(सांवरमल वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, नागौर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/3/2009–10/2105 दिनांक 09.08.2017 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान पत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन करा प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

18/19.9.17

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(4)राज./ग्रुप–1/2008 जयपुर, दिनांक 4 SEP

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि तहसील डीडवाना, जिला–नागौर के समस्त ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य जो अधिसूचना क्रमांक प. 13(4)राज/ग्रुप–1/08 दिनांक 28.05.2009 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 105 ग्रामों अधिसूचना दिनांक 17.06.2016 एवं 21.02.2017 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका हैं। शेष ग्रामों में से 30 ग्रामों (अधिसूचना 106 के साथ संलग्न सूची अनुसार) के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका हैं। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त 30 ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित करते हुए अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग राज., जयपुर
पत्र-प्राप्ति
11 SEP 2017
क्रमांक 575

राज्यपाल की आज्ञा से

(सांवरमल वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, नागौर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/3/2009–10/2105 दिनांक 09.08.2017 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान पत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन करा प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

182
19.9.2017

तहसील डीडवाना जिला नागौर के 30 ग्राम जिनकी भू-प्रबन्ध की कार्यवाही सन्द घोषित की जानी है कि भूमि।

क.सं.	नाम ग्राम	तहसील	क.सं.	नाम ग्राम	तहसील
1	मौलासर	डीडवाना	16	जेवलिया वास	डीडवाना
2	पायलीं	डीडवाना	17	ढ़िगारिया	डीडवाना
3	बैरीकलां	डीडवाना	18	झाड़ोद	डीडवाना
4	सूपका	डीडवाना	19	गांवड़ी	डीडवाना
5	सरदारपुरा खुर्द	डीडवाना	20	पालोट	डीडवाना
6	सांगूकलां	डीडवाना	21	खारड़िया	डीडवाना
7	खूड़ी	डीडवाना	22	सरदारपुरा कलां	डीडवाना
8	लोरोली (उगमसिंह)	डीडवाना	23	भोपजी का बास	डीडवाना
9	पावा	डीडवाना	24	बैमोठ चक न0 2	डीडवाना
10	हमीदपुर	डीडवाना	25	बनवासा	डीडवाना
11	लोरोली कलां	डीडवाना	26	गोमथलिया	डीडवाना
12	रणसीसर	डीडवाना	27	अहीरों का बास	डीडवाना
13	कापड़ोद	डीडवाना	28	आजवा	डीडवाना
14	अगरोट	डीडवाना	29	डाकीपुरा	डीडवाना
15	ठाकरिया वास	डीडवाना	30	बेड़वा	डीडवाना

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
सीकर